प्रकरण क्रमांक

प्रस्तुति दिनांक

रा0रा0 श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

R-3707-PBR/14

1. श्रीमती जसबीर कौर पति जोगेन्द्रसिंह राजपाल
डांक बंगला रोड़, सेंधवा तहसील सेंधवा जिला बड़वानी

2. श्री जोगेन्द्रसिंह पिता तेजासिंह राजपाल
निवासी- अमृत नगर, सेंधवा तहसील सेंधवा जिला बड़वानी

.... आवेदकगण

विरूद्ध

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 09/10/2014 को प्रस्तुत

1. जिला पंजीयक एवं मुद्रांक संग्राहक
जिला पंजीयक कार्यालय, बड़वानी (म0प्र0)

643/09-10-2014

2. म.प्र. शासन द्वारा सब रजिस्ट्रार
सब रजिस्ट्रार कार्यालय सेंधवा

.... प्रत्यर्थीगण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 की उपधारा 4 के अन्तर्गत पुनरीक्षण आवेदन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3707–अध्यक्ष / 14 जिला बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–7–2015	उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, बडवानी के आदेश दिनांक 10–4–2014 को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 47–क (3) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है । अधिनियम की धारा 47–क (3) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिनियम की धारा 47– क (4) के अंतर्गत आयुक्त को होगी । अपीलीय आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 56 में नहीं है । अतः यह निगरानी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	